# कारखाना अधिनियम – 1948

( Factory Act 1948 )

कारखाना अधिनियम ( 23 सितम्बर 1948 ) को पारित करें सम्पूर्ण भारत में 01 अप्रैल 1949 को लागू किया गया। इस अधिनियम में कारखाना मजदूर व मालिक के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण तथा कार्य के घण्टों, छुट्टी, समयोपरि भत्ता, विश्राम आदि हेतु प्रावधान किये गये हैं। यह अधिनियम रेलवे के सभी कारखानों व उत्पादन इकाईयों पर लागू हैं, परन्तु लोको शैड व कैरेज डिपो पर यह लागू नहीं होगा।

(1) ''कारखाना'' से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें :–

i दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम करते रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति (बिजली) की सहायता से की जा रही है या आमतौर से इस तरह की जाती है, या

ii बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम करते रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति (बिजली) की सहायता के बिना जा रही है, या आमतौर से ऐसे की जाती है।

(2) ''कर्मकार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हे जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया में, या मशीनरी अथवा विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिसर के किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाधीन विषयवस्तु के प्रासंगिक या उससे सम्बन्धित किसी अन्य प्रकार के काम में मुख्य नियोजक की जानकारी में या उसके बिना चाहे सीधे या किसी अभिकरण ( जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी सम्मिलित है ) द्वारा या उसके मार्फत् और चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित हो, किन्तु संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य इसके अन्तर्गत नहीं है।

(3) ''विनिर्माण प्रक्रिया'' से अभिप्रेत है :–

i किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, स्नेहन, धुलाई, सफाई, विघटन, उन्मूलन या अन्यथा अभिक्रियान्वयन या अनुकूलन करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

ii तेल, जल, मल या कोई अन्य पदार्थ उद्वहित करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

iii शक्ति का उत्पादन, रूपान्तरण या संचारण करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

iv मुद्रण के लिए टाइप कम्पोज करने, लैटर–प्रेस, अश्म–मुद्रण, प्रकाशोत्कीर्ण या अन्य वैसी ही प्रक्रिया द्वारा मुद्रण या जिल्द–बन्दी करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

v पोतों या जलयानों को सन्निर्मित करने, पुनःसनिर्मित करने, मरम्मत करने, पुनः फिट करने, परिष्कृत करने या विघटित करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

vi शीतागार में किसी वस्तु के परिक्षण या भण्डारकरण के लिए कोई प्रक्रिया,

(4) कारखाने के अधिष्ठाता (Occupier) से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कारखाने के कामकाज पर अन्तिम नियंत्रण प्राप्त है।

i परन्तु– किसी फर्म की दशा में, उसका कोई एक व्यष्टिक भागीदार या सदस्य अधिष्ठाता समझा जायेगा,

ii परन्तु– किसी कम्पनी की दशा में, निदेशकों में से कोई एक अधिष्ठाता समझा जायेगा,

iii परन्तु– केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कारखाने की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कारखाने के कामकाज के प्रबन्ध के लिए नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिष्ठाता समझा जायेगा।

(5) अधिष्ठाता (Occupier) के साधारण कर्त्तव्य– प्रत्येक अधिष्ठाता, जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से साध्य है, कारखाने के सभी कर्मकारों का कारखानें में उनके काम के समय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेगा।

(6) निरीक्षक (Inspector)– राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास विहित अर्हतायें हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसी स्थानीय सीमायें सौंप सकेगी जैसी वह ठीक समझें।

(7) निरीक्षक की शक्तियाँ (Power of the Inspector)– उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त नियमों के आधार पर स्थानीय सीमाओं सहित, जिसके लिये उसे नियुक्त किया गया है, निम्न अधिकार होगें:–

i उस स्थान पर प्रवेश कर सकता है जिसका फैक्ट्री की तरह प्रयोग हो रहा है।

ii किसी प्रांगण, मशीन, प्लाण्ट का परीक्षण कर सकेगा।

iii किसी भी दुर्घटना की जाँच कर सकेगा तथा उचित समझेगा तो सम्बन्धित पक्षों के बयान ले सकेगा।
iv फैक्ट्री से सम्बन्धित किसी भी रजिस्टर या दस्तावेजों की माँग कर सकेगा।
v फैक्ट्री से सम्बन्धित किसी रजिस्टर या रिकार्ड की प्रति लेना या जब्त कर सकेगा।
vi नियोक्ता को फैक्ट्री में किसी स्थान या जगह को परिवर्तित न करने का निर्देश दे सकेगा।
vii अधिनियम के तहत निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
viii उचित समझे तों रिकार्डिंग, फोटो आदि ले सकेगा।

स्वास्थ्य (Health)

i सफाई (Cleanliness) (Sec.-11)
प्रत्येक कारखाना साफ व दुर्गन्ध से दूर रखा जायेगा, कार्यस्थल का फर्श कम से कम एक बार प्रति सप्ताह साफ किया जायेगा।
दीवारें, विभाजक, छतें, रास्तों की छतें, सीढ़ियाँ पाँच वर्ष में एक बार अवश्य रंग रोगन की जायेगी, जहाँ पर सफेदी की आवश्यकता है, वह 14 माह में एक बार अवश्य की जानी चाहियें।
दरवाजें, खिड़कियाँ पाँच वर्ष में क बार अवश्य रंगे जायेगें।

ii कचरे और बहिःस्त्राव का व्ययन (Disposal of waste and effluents) (Sec.-12)
प्रत्येक कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया के चलाये जाने से निकलने वाले कचरे और बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिए, जिससे कि वे हानिकारक न रह जायें, और उनके व्ययन के लिए कारगर प्रबन्ध किये जायेगें।

iii संवातन और तापमान (Ventilation & temperature) (Sec.-13)
प्रत्येक काम करने के कमरे में निम्नलिखित को सुनिश्चित करने और बनाये रखे के लिये प्रत्येक कारखाने में प्रभावपूर्ण और यथोचित व्यवस्था की जायेगीः–
क स्वच्छ वायु के परिसंचारण के लिए पर्याप्त संवातन (Ventilation), और
ख ऐसा तापमान जिससे कर्मकारों को वहाँ युक्तियुक्त सुखद दशा महसूस किया जाये।

iv धूल और धूआँ (Dust & fume) (Sec.-14)
प्रत्येक कारखाने में, जिसमें वहाँ पर चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के कारण कोई धूल या धूम या अन्य अपद्रव्य, जो इस प्रकार का और इतना हो जिसका वहाँ पर नियोजित कर्मकारों के लिए क्षतिकारक प्रभाव होना सम्भाव्य हो, अथवा पर्याप्त मात्रा में कोई धूल निकलती हो, किसी काम करने के कमरे में उसके संचयन को रोकने के लिए प्रभावपूर्ण उपाय किये जायेगें।

v कृत्रिम नमीकरण (Artifical Humidification) (Sec.-15)
उन सब कारखानों के सम्बन्ध में जिनमें वायु की नमी कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, राज्य सरकारः–
क नमीकरण का मान विहित करने वाले,
ख वायु की नमी कृत्रिम रूप से बढ़ाने के तरीकों को विनियमित करने वाले,
ग वायु की नमी अवधारित करने के लिए विहित परीक्षणों का ठीक तौर से किया जाना और अभिलिखित किया जाना,,
घ ऐसे किसी कारखाने में जिसमें वायु की नमी को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जल सार्वजनिक प्रदाय से लिया जायेगा अथवा पीने के जल के अन्य स्त्रोत से लिया जायेगा।

vi अतिभीड़ (Over crowding) (Sec.-16)
किसी कारखाने में किसी कमरे में इतनी अधिक भीड़ नहीं होगी कि वहाँ नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान कारखाने के प्रत्येक काम करने के कमरे में कम से कम 9.9 घनमीटर और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात बने कारखाने के प्रत्येक काम करने के कमरे में कम से कम 14.2 घनमीटर जगह वहाँ नियोजित कर्मकार के लिए होगी।

vii रोशनी (Lighting) (Sec.-17)
कारखाने के हर एक भाग में जहाँ कर्मकार काम करते हैं या जहाँ से गुजरते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम अथवा दोनों प्रकार की पर्याप्त और यथोचित रोशनी की व्यवस्था की जायेगी और बनाई रखी जायेगी।

viii पीने का जल (Drinking water) (Sec.-18)
हर कारखाने में ऐसे यथोचित स्थलों पर जो वहाँ नियोजित सब कर्मकारों के लिये सुविधाजनक रूप से स्थित हो, स्वच्छ पीने के जल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था करने और उसे बनायें रखने के लिए प्रभावपूर्ण प्रबन्ध किये जायेगें।

ix शौचालय और मूत्रालय (Latrines & Urinals) (Sec.-19)

क हर कारखाने में– विहित प्रकार के पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय स्थान की व्यवस्था की जायेगी जो सुविधाजनक रूप से नजदीक स्थित होगें और जिन तक कर्मकारों की, सब समयों पर जब से कारखाने में काम पर हो, पहुँच होगी,

ख पुरूष और स्त्री कर्मकारों के लिए पृथक–पृथक बन्द शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी,

ग ऐसे स्थानों में पर्याप्त रोशनी और संवातन (Ventilation) होगा तथा किसी भी शौचालय या मूत्रालय के लिए, जब तक कि मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखकर विशिष्टतः छूट न दी गई हो, किसी काम करने के कमरे से पहुँच, बीच में खुली जगह से अन्यथा नहीं होगी,

घ ऐसे सब स्थान हर समय साफ और स्वच्छ स्थिति में रखे जायेगें,

ड़ सफाईकर्मी नियोजित किये जायेगें जिनका प्राथमिक कर्त्तव्य शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई स्थानों को साफ रखना होगा

x थूकदान (Spittoons) (Sec.-20)

हर कारखाने में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में थूकदानों की व्यवस्था की जायेगी और इन्हें साफ और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जायेगा।

xi सुरक्षा (Safety) -

i मशीनों पर बाड़ लगाना (Fencing of machinery) (Sec.-21)

प्रत्येक कारखानें में धूरी पर घूमने वाले सभी उपकरण जिससे दुर्घटना की सम्भावना हो उन्हें बाढ़ (Fencing)लगाकर सुरक्षित किया जाना चाहिये

ii मशीनरी के गति में होने पर उस पर या उसके निकट काम
(Work on or near machinery in motion) (Sec.-22)

जहाँ किसी कारखाने में मशीनरी के किसी भाग का उस मशीनरी के गति में होते हुए परीक्षा करना आवश्यक हो वहाँ ऐसी परीक्षा या संक्रिया चुस्त कपड़े पहने (जो अधिष्ठाता द्वारा दिए जायेगें) विशेष रूप से शिक्षित उस वयस्क पुरूष कर्मकार द्वारा ही की जायेगी जिसका नाम इस निमित विहित रजिस्टर में अधिलिखित है और जिसे उसकी नियुक्ति का प्रमाण–पत्र दे दिया गया है।

iii खतरनाम मशीनों पर अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन
(Employment of young persons on dangerous machines) (Sec.-23)

किसी अल्पवय व्यक्ति से किसी ऐसी मशीनरी पर, जिस को यह धारा लागू होती है, काम करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि उसको उस मशीन से पैदा होने वाले खतरों तथा अनुपालन की जाने वाली पूर्व सावधानियों के बारे में पूर्णतः अवगत न करा दिया गया हो।

iv बिजली काटने के लिए आघात–गियर और युक्तियाँः–
(Striking gear & Devices for cutting of power) (Sec.-24)

हर एक कारखाने में आपात के समय चालू मशीनरी से बिजली काटने के लिए उपयुक्त युक्तियों की व्यवस्था की जायेगी और उन्हें प्रत्येक काम करने के कमरे में रखा जायेगा।

v स्वचलित मशीन व नई मशीन का आवेष्टनः–
(Self acting machines & casing of new machines) (Sec.-25, 26)

क किसी स्वचलित मशीन का कोई भाग अगर घूमता है व वहाँ से कर्मकारों को कार्य के दौरान गुजरना पड़ता है तो उन्हें मशीन से 45cm के या उस स्थान से गुजरने नहीं दिया जायेगा।

ख मशीन के नट–बोल्ट, कीलों, चक्र आदि को हर प्रकार धंसाया जायेगा ताकि कर्मकारों को क्षति न पहुँचे।

vi रूई धुनकियों के पास स्त्रियों और बच्चों के नियोजन का प्रतिषेधः–(Probhition of employment of women & children near cotton openers) (Sec.-27)

रूई दबाने के कारखाने के किसी ऐसे भाग में जिसमें रूई धुनकी चल रही हो, किसी स्त्री या बालक को नियोजित नहीं किया जायेगा।

परन्तु यदि रूई धुनकी का भराई–सिरा एसे कमरे में हो जो निकासी सिरे से ऐसे विभाजक द्वारा पृथक किया गया है जिसका विस्तार छत तक हो या जिसकी ऊँचाई इतनी हो जितनी निरीक्षक किसी विशिष्ट मामले में लिखकर विनिर्दिष्ट करें तो स्त्रियों और बालकों को विभाजक के उस और नियोजित किया जा सकेगा जहाँ भराई–सिरा स्थित हो।

vii उत्तोलक और उत्थापक (Hoists and lifts) (Sec.-28)

प्रत्येक कारखाने में :–

क हर उत्तोलक और उत्थापक–

ii समुचित यॉंत्रिक निर्माण, ठोक सामग्री और पर्याप्त सामर्थ्य का होगा।

iii उचित रूप से अनुरक्षित होगा और प्रत्येक छःमाह की कालावधि में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्णरूप से परीक्षित किया जायेगा और प्रत्येक ऐसी परीक्षा की विहित विशिष्टियॉं एक रजिस्टर में रखी जायेगी।

viii उत्थापक यंत्र, जंजीरें, रस्सियॉं और उत्थापक टैकलः–
(Lifting machines, chains, ropes & lifting tackles) (Sec.-29)
किसी भी कारखानें में, व्यक्तियों या सामग्रियों को ऊपर या नीचे ले जाने के प्रयोजन के लिए (उत्तोलक या उत्थापक से भिन्न) प्रत्येक उत्थापक यंत्र और प्रत्येक जंजीर, रस्सी और उत्थापक टैकल के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों का पालन किया जायेगाः–

क प्रत्येक बारह मास की कालावधि में कम से कम एक बार या ऐसे अन्तरालों में जैसे मुख्य निरीक्षक लिखकर विनिर्दिष्ट करें, सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से, परीक्षित किये जायेगें, और प्रत्येक ऐसी परीक्षा की विहित विशिष्टयॉं एक रजिस्टर में रखी जायेगी।

ख परख करने के प्रयोजन के अन्यथा कभी भी किसी उत्थापक यंत्र और जंजीर, रस्सी या उत्थापक टैकल पर उस सुबहनीय भार से अधिक भार से अधिक भार नहीं लादा जायेगा जो पहचान चिन्ह सहित उस पर स्पष्टतः अंकित होगा, और विहित रजिस्टर में सम्यक् रूप से दर्ज होगा, और जहॉं यह साक्ष्य न हो वहॉं उपयोग में लाये जा रहे हर प्रकार और आकार के उत्थापक यंत्र या जंजीर, रस्सी या उत्थापक टैकल के सुबहनीय भारों को दर्शित करने वाली सारणी परिसर के प्रमुख स्थानों पर सम्प्रदर्शित होगी।

ix परिक्रमी मशीनरी (Revolving machinery) (Sec.-30)
प्रत्येक फैक्ट्री में विशेष कर जहॉं पर घिसाई (Grinding) प्रक्रिया चलती हो, यह सुनिश्चित करने के उपाय किये जाये कि प्रत्येक पात्र, गतिचालक चक्र या डिस्क अपनी परिधि से अधिक न चले ताकि कार्यरत कर्मकारों को नुकसान से बचाया जा सके।

x दाब संयंत्र (Pressure Plant) (Sec.-31)
प्रेशर प्लाट का उपयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि अत्यधिक दाब से कोई दुर्घटना घटित न हो।

xi फर्श, सीड़ियॉं और पहुॅंच के साधन (Sec.-32, 33)
फर्श, सीड़ियॉं और पहुॅंच के साधन, बाधा रहित हो व सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग लगायी जाये कारखाने के फर्श, टंकी या भूतल पर यदि गहरी जगह हो तो उसे ढककर रखा जाये या पक्की बाड़ लगा दी जानी चाहिये।

xii अत्यधिक वजन (Excessive Weight) (Sec.-34)
फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति इतने भारी बोझ को उठाने, ले जाने या खिसकाने के लिए नियोजित नहीं किया जाये, जिससे उसे क्षति पहुॅंचने की सम्भावना हो।

xiii आँखों का बचाव (Protection of Eye) (Sec.-35)
जहॉं पर कर्मकार को कार्य करते समय अत्यधिक रोशनी से आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, आँखों के बचाव के सभी प्रबन्ध किये जाने चाहिये।

xiv खतरनाक धूम, गैसों आदि के प्रति पूर्वावधानियॉं–
(Precautions against dangerous fumes, gases etc.) (Sec.-36)
किसी व्यक्ति से किसी कारखाने में किसी ऐसे कोष्ठ, टंकी, कुण्ड, गर्त, पाईप, फ्ल्यू या अन्य परिरूद्ध स्थान में, जिसमें किसी गैस, धूम वाष्प या धूल के इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान होने की सम्भावना हे जिससे व्यक्ति के अभिभूत हो जाने का खतरा है, तब तक प्रवेश करने के अपेक्षा नहीं की जायेगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक उसमें उपयुक्त आकार के मैनहोल या बाहर जाने के अन्य प्रभावी साधनों की व्यवस्था न हो।

xv वहनीय विद्युत प्रकाश के प्रयोग की बाबत् पूर्वावधानियॉं
(Precautions regarding the use of portable electric light) (Sec.-36A)
किसी कारखाने मेंः–

क किसी ऐसे कोष्ठ, तालाब, कुण्ड, गर्त, नलिका, धूमवाहिका या अन्य परिरूद्ध स्थान (Confined space) के भीतर चौबीस वोल्ट से अधिक वोल्टता वाले वहनीय (Portable) विद्युत प्रकाश या अन्य विद्युत साधित्र (Appliance) का उपयोग करने की अनुज्ञा जब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि

पर्याप्त सुरक्षा युक्तियों की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, और

ख यदि ऐसे किसी कोष्ठ, तालाब, कुण्ड, गर्त, नलिका, धूमवाहिका या अन्य परिरूद्ध स्थान के भीतर किसी ज्वलनशील गैस, धूम या धूल के विद्यमान होने की सम्भाव्यता है तो वहाँ ज्वालासह सन्निर्माण वाले लैम्प या प्रकाश से भिन्न किसी लैम्प या प्रकाश से भिन्न किसी लैम्प या प्रकाश का उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

xvi विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि
(Explosive or imflammable dust, gas etc.) (Sec.-37)
किसी फैक्ट्री में निर्माण प्रक्रिया के दौरान यदि विस्फोटाक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि पैरा होती है तो कर्मकारों की सुरक्षा के प्रबन्ध किये जायें व ऐसी गैसे धूल व बाधा आदि को पाइप के द्वारा खुले स्थान पर छोड़ा जाये ताकि उससे किसी को नुकसान न हो।

xvii आग लगने की दशा में पूर्वावधानियाँ (Precautions in case of fire) (Sec.-38)

क प्रत्येक कारखाने में, भीतर और बाहर दोनों जगह, आग लगने और उसके फैलने से रोकने के लिए सभी साध्य उपाय किये जायेगें, और

ख यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किये जायेगें कि प्रत्येक कारखाने में सभी कर्मकार आग लगने की दशा में बच निकलने के साधनों से परिचित हों और ऐसी दशाओं में अपनाई जाने वाली विधि से पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों।

सुरक्षा अधिकारी (Safety officer) (Sec.-40 B)

प्रत्येक कारखाने में जिसमें राज्य सरकार की राय में कोई विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया की जाती है जो ऐसी प्रक्रिया या संक्रिया है जिसमें कारखाने में नियोजित व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष या बीमारी की जोखिम या स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य खतरा है वहाँ सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जायेगा तथा सुरक्षा अधिकारियों के कर्त्तव्य, अर्हतायें और सेवा की शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

कल्याण (Welfare)

i धुलाई की सुविधायें (Washing facility) (Sec.-42)
प्रत्येक फैक्ट्री में महिला व पुरूषों के लिये पृथक पर्दायुक्त सुविधायें धुलाई हेतु उपलब्ध करानी चाहिये तथा उनके कार्य स्थल के पास होनी चाहिये एवं उनकी सफाई की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

ii वस्त्रों को रखने और सुखाने के लिए सुविधायें (Facility for storing & drying cloths) Sec.-43)
राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के बारे में काम के घण्टों के दौरान न पहने जाने वाले वस्त्रों को रखने और गीले कपड़ों को सुखाने के लिये समुचित स्थानों की व्यवस्था अपेक्षित करने वाले नियम बना सकेगी।

iii बैठने की सुविधायें (Facilities for sitting) (Sec.-44)
प्रत्येक कारखाने में खड़े होकर काम करने के लिए बाध्य सभी कर्मकारों के बैठने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी तथा उसे बनाये रखी जायेगी जिससे वे अपने काम के दौरान उपलब्ध विश्राम अवसरों का लाभ उठा सकें।

iv प्राथमिक उपचार उपकरण (First Aid applicances) (Sec.-45)
प्रत्येक कारखाने में विहित अन्तवस्तुओं से युक्त प्राथमिक उपचार–बक्से या कबर्ड उपलब्ध होगें और रखे रहेगें जिससे वे सारे काम के घण्टों के दौरान आसानी से प्राप्य हो और इस प्रकार उपलब्ध और रखे हुए बक्सों या कबर्डों की संख्या कारखाने में किसी एक समय पर मामूली तौर से नियोजित हर डेढ़ सौ कर्मचारी के लिए एक से कम नहीं होगी।

v कैन्टीन (Canteens) (Sec.-46)
कारखाने में, जिसमें ढ़ाई सौ से अधिक कर्मकार नियोजित किये जाते हैं, वहाँ कर्मकारों के उपयोग के लिए अधिष्ठाता द्वारा कैन्टीन की व्यवस्था की जायेगी और उन्हें बनाये रखा जायेगा।

vi आश्रम, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष (Shelters, Rest Room & Lunch Room) (Sec.-47)
प्रत्येक ऐसे कारखाने में, जिसमें डेढ़ सौ से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित हो, पर्याप्त और उपयुक्त आश्रम या विश्राम कक्ष और पीने के पानी की व्यवस्था सहित ऐसे उपुयक्त भोजन कक्ष, जहाँ कर्मकार अपने द्वारा लाया खाना खा सकें, कर्मकारों के उपयोग के लिए उपलब्ध होगें और अनुरक्षित रखे जायेगें।

vii शिशु कक्ष (Creches) (Sec.-48)

प्रत्येक ऐसे कारखाने में जिसमें पचास से अधिक स्त्री कर्मकार (26.04.76) मामूली तौर पर नियोजित है वहाँ ऐसी स्त्रियों के छःवर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त कमरा या कमरे उपलब्ध होगें और अनुरक्षित रखे जायेगें।

ऐसे कमरों में पर्याप्त जगह होगी, पर्याप्त रोशनी और पर्याप्त संवातन होगा, वे साफ और स्वच्छतर दशा में रखे जायेगें और बालकों और शिशुओं की देख–रेख प्रशिक्षित स्त्रियों द्वारा की जायेगी।

viii कल्याण अधिकारी (Welfare Officers) (Sec.-49)

प्रत्येक कारखाने में, जिसमें पाँच सौ या उससे अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किये जाते हैं, अधिष्ठाता कारखाने में इतने कल्याण अधिकारी नियोजित करेगा जितने विहित किये जाये जो कर्मकारों के कल्याण व हितों का ध्यान रखेगें।

वयस्कों के कार्य घण्टेः–

i कार्य के घण्टे (Hours of work) (Sec.-51)किसी भी व्यस्क को एक सप्ताह में 48 घण्टे एक दिन में 09 घण्टे व लगातार 05 घण्टे से ज्यादा कार्य नहीं लिया जायेगा, कम से कम 30 मिनट का विश्राम लगातार कार्य के बाद दिया जाना चाहिये।

ii साप्ताहिक विश्राम का दिन (Rest day) (Sec.-52)

फैक्ट्री में प्रत्येक कर्मकार को सप्ताह में एक दिन विश्राम अवश्य दिया जाना चाहिये, विशेष परिस्थितियों में विश्राम तीन दिन पहले अथवा बाद में भी दिया जा सकता है।

नोटिस जो प्रदर्शित किये जायेः–

i अधिकतम कर्मकारों की संख्या
ii विश्राम का दिन
iii अवकाश की सूचना या रद्द करने की सूचना
iv ड्यूटी रोस्टर
v श्रम कानूनों का सार
vi भुगतान दिवस की सूचना
vii निरीक्षक व डॉक्टर का नाम व पता

वार्षिक अवकाश मय वेतन (Annual leave with wages) (Sec.-78)

प्रत्येक कर्मकार जिसने 240 दिन या अधिक समय तक फैक्ट्री में एक वर्ष में कार्य किया हो उन्हें 20 दिन के हिसाब से एक अवकाश वेतन सहित दिया जायेगा।

नियमों के उल्लंघन पर शास्ति (General penalty for offence) (Sec.-92)

फैक्ट्री एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने पर फैक्ट्री के मैनेजर या नियोक्ता को दो वर्ष का कारावास या एक लाख रूपये या आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, यदि अपराध लगातार किया जाये तो 1000 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से और दण्ड लगाया जा सकता है।